संशो. स्मृति–पत्र

1–संस्था का नाम– **स्व0श्री सुमन प्रकाश एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइ**
2–संस्था का पता– ग्राम मधीपुर पो0 पैंढत जिला–फिरोजाबाद।
3–संस्था का कार्यक्षेत्र– **सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।**
4–संस्था के उद्देश्य–

1– अल्प संख्यक आयोग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं केन्द्रीय व राज्य सरक सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों के सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजन कार्यक्रमों को संचालित कर समाज व देश की तरक्की करने का प्रयास करना ।

2– संस्था द्वारा जो भी शैक्षणिक संस्थान/कालेज खोले जायेगें उनमें जैन समुदा छात्र–छात्राओं के प्रवेश प्राथमिकता के आधार पर करना व जैन समाज/समुदाय के की रक्षा करना ।

3– संस्था के अर्न्तगत स्थापित, स्कूल, कालेज, डिग्री कालेज पी0जी0 कालेज, बी.टी.सी. एम.एड. बीएल.एड. बी.पी.एड., मेडिकल, पैरामेडिकल, लॉ कालेज, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन, शिक्षा संस्थानों, उपाश्रय आदि संस्थाओं का प्रबन्ध कर विशेषतः जैन छात्र/छात्राओं के प्राथमिकता के आधार पर कर उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना ।

4– शिक्षा विकास हेतु आधुनिक पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर स्थापित करना तथा सी.बी.एस.ई./आई.सी.ए शिक्षा पद्धति के शिक्षण संस्थानों स्थापना कर उनका विधिवत प्रबन्धन संचालन करना।

6– संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कम्प्यूटर शिक्षा, इंजीनियरिंग, बायो–टैकनिक, बायो इंजीनि डेन्टल कालेज, फिजियोथेरिपी कालेज, तथा डी.एम.एल.टी. आदि के साथ रिसर्च डवलपमेन्ट सेन्टर की स्थापना एंव संचालन शासन से अनुमति प्राप्त करके करना साथ विभिन्न विषयों पर शोध कार्य का संचालन करना । जैन अल्पसंख्यक बच्चे सम्बद्धता एवं आर्थिक सहयोग विभिन्न विभागों से लेना ।

7– निर्धन, अनाथ, अपाहिज, जैन अल्पसंख्यक बच्चों व निराश्रित महिलाओं व वृद्ध कल्याण हेतु कार्य करना । विशेषतः जैन छात्र/छात्राओं के लिये शिक्षा संस्थान वि पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास आवासीय विद्यालयों की स्थापना/प्रबन्धन करना निर्धन बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था व उन्हें छात्रवृत्ति दिलाने की व्यवस्था कर शासन प्रशासन से अनुदान एवं वित्तीय सहायता दिलाने का प्रयास करना।

7– संस्था के नाम से व अन्य नामों से कार्यक्षेत्र में जगह–जगह विद्यालय, स्कूल, इन्स्टीट्यूशन, प्राईवेट आई0टी0आई0 कालेज आदि की स्थापना करना व उनका प्रबन्ध संचालन करना ।

8– एन.एस.डी.सी. द्वारा संचालित कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन व उनके जगह–जगह प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कराना ।

9– जैन मत के सिद्धान्तों की अभिवृद्धि हेतु देश विदेश एवं प्रदेश की समान उद्देश्य संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से अनुदान, चंदा, ऋण, सहयोग प्राप्त कर व सहयोग देना प्राप्त आय से समाज विक विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना ।

10– जैन मत के सिद्धान्तों एवं जैन तीर्थंकरों के उपदेशों का प्रचार एवं प्रसार करना ।

Ruchi
अनूप जैन
Hardy Kumar
Ruchi

अध्यक्ष
स्व0 श्री सुमन प्रकाश एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी
ग्राम-मधीपुर, पो0 पैंढत जिला फिरोजाबाद (उ0प्र0)

सत्य प्रतिलिपि
कार्या. उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

(4)

11– श्रमण तथा श्रमणी वृन्दों के आहार, विहार तथा आवास आदि की समुचित व

12– समस्त श्रावक श्राविकाओं का उत्थान करना । समाज में व्याप्त अज्ञानता के निवारण हेतु प्रयासरत रहना ।

13– विभिन्न पर्वों पर आराधना हेतु उचित व्यवस्था करना एवं कार्यक्रमों का आयो

14– शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्रयासरत रहना एवं आवश्यकतानुसार शिक्षण–प्रशि स्थापना कर उनका प्रबन्ध संचालन करना ।

15– स्वस्थ्य सामाजिक परंपराओं को प्रोत्साहन देना । जैन मत कर प्रचार प्रसार

16– जन सेवार्थ की भावना नागरिकों में पैदा करना समय समय पर गोष्ठियां कार्यक्रमों प्रवचनों का आयोजन करना देश व समाज के कल्याण के लिये क

17– जीव दया एवं गौधन रक्षा के लिये प्रयासरत रहना गौसंरक्षण, पर्यावरण संरक्ष महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमो, अपाहिज, दीन–दुखियों की सेवा वृद्ध शीतकालीन रैनबसेरा, प्याऊ आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत शिविरों के माध्यम आदि कार्यक्रमों को समय–समय पर चलाना ।

18– जैन अल्पसंख्यक एवं अन्य मेधावी अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत क

19– जैन समाज को मांस, मद्यपान, जुआ, और दहेजप्रथा मुक्त रखना एवं वैर में अन्तर करना व सामाजिक कुरीतियों व बुराईयों को दूर करने का करना।

20– समाज की निर्धन एवं बेसहारा, लड़कियों, विधवाओं, की शादी विवाह में स दहेज मुक्त सामूहिक शादी विवाह सामाजिक रीति रिवाजो के अनुसार आयो जैन अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब, निर्बल एवं असहायों की देखभाल करना। जैन समुदाय के हितों की रक्षा व संस्था की अन्य सम्पत्ति की संरक्षण तथा अभिवृद्धि करना ।

21– राज्य/भारत सरकार की विधि द्वारा स्थायी बोर्डों/विश्वविद्यालयों पाठ्यक्रमों/उपाधियों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्रों को न प्रदान न ही ऐसे पाठ्यक्रम बिना राज्य/भारत सरकार की अनुमति के संचालित वि

अध्यक्ष
स्व० श्री सुमन प्रकाश एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी
ग्राम-मढ़ीपुर पो०-पैढ़त जिला फिरोजाबाद (उ०प्र०)

सच्ची प्रतिलिपि

सदस्य

स्व0श्री सुमन प्रकाश एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम मधीपुर पो0 पैंढत जिला–फिरोजाबाद की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष–2016–2018

क्रम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्री आदित्य कुमार पुत्रश्री रघुराज	ग्राम मधीपुर पो0 पैंढत, फिरोजाबाद	अध्यक्ष	व्यापार
2–श्री प्रभंजन जैन पुत्रश्री पुत्तूलाल जैन	बस्ती करिहा, फिरोजाबाद	उपाध्यक्ष	चिकित्सक
3–श्री अनूप कुमार जैन पुत्र स्व0श्री संपतलाल जैन	पुरानी बस्ती जैन मंदिर मोहल्ला सराय हाऊस नं0–2 एटा	प्रबन्धक / सचिव	व्यापार
4–श्री संजय कुमार पुत्रश्री होरीलाल	ग्राम मधीपुर पो0 पैंढत, फिरोजाबाद	उपप्रबन्धक / उपसचिव	व्यापार
5–श्रीमती रूचि जैन पत्नीश्री आशीष जैन	211 पुरानी, बस्ती सर्वज्ञान एटा	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6–श्रीमती सेजल जैन पत्नीश्री अमित कुमार जैन	211 पुरानी, बस्ती सर्वज्ञान एटा	आडीटर	गृहणी
7–श्री जैन राजेश कुमार पुत्रश्री जैन नेमीचन्द	जयहिन्द रेस्टोरेन्ट नियर ओल्ड बस स्टैण्ट, अरबन बैंक के पीछे बडोदरा गुजरात	सदस्य	व्यापार
8–श्रीमती रेखा जैन पत्नीश्री अजय कुमार जैन	कृष्णा विहार सैक्टर–25 वर्मानगर एटा	सदस्य	गृहकार्य

अध्यक्ष
स्व0 श्री सुमन प्रकाश एजूकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसाइटी
ग्राम-मधीपुर पो0-पैंढत जिला फिरोजाबाद (उ0प्र0)

संशो. नियमावली

1–संस्था का नाम– **स्व0श्री सुमन प्रकाश एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइ**

2–संस्था का पता– ग्राम मधीपुर पो0 पैंढत जिला–फिरोजाबाद।

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– **सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।**

4–संस्था के उद्देश्य – स्मृति–पत्र में दिये गये उद्देश्यों के अनुसार ही रहेगें ।

5–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते हो निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देंगे वे इस संस्था के अध्यक्ष द्वारा बनाये जा सकेगें जो निम्न वर्ग के होगें –

संरक्षक सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 21000/–रू0 सदस्यता शुल्क में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेगें ।

आजीवन सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 11000/–रू0सदस्यताशुल्क में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होगें ।

सामान्य सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को 500/–रू0 वार्षिक सदस्यता शु रूप में दिया करेगें वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होगें ।

विशिष्ट सदस्य– ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों विद्वान होगें सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्य वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा को स्वीकार होगा । ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधि होगा ।

6–सदस्यता की समाप्ति–1–सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।

2–आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।

3–किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।

4–सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।

5–संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण के बताये अनुपस्थित रहने प

6–किसी सदस्य के विरूद्व साधारण सभा के 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ता होने पर ।

7–सदस्य द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।

7–संस्था के अंग– (अ) साधारण सभा ।

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति ।

8–साधारण सभा– (अ) गठन– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर जावेगा ।

(ब) बैठकें– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना–अवधि–साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 15 तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित माध्यम जैसे–टेलीफोन, ई–मेल, एस.एम.एस., फैक्स द्वारा संस्था सचिव द्वारा प्रे जावेगी ।

अध्यक्ष

स्व0 श्री सुमन प्रकाश एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी
ग्राम-मधीपुर पो0-पैंढत जिला फिरोजाबाद (उ0प्र0)

अनुप जैन

सत्य प्रतिलिपि

7

(द) गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्य उपस्थिति का कोरम होगा ।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी।

(र) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न कराना ।

2–नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के सभी सदस्यों के बहुमत से करना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार पर विचार विमर्श कर स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9–प्रबन्धकारिणी समिति–

(अ) गठन–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारणसभा में से बहुमत से सदस्यों को चुनकर किया जावेगा, प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एक सचिव/प्रबन्धक, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष एक आडीटर एवं कार्यकारिणी सदस्य होंगें।

कार्यकारिणीसमिति की संख्या साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकता नुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है जो कम से कम 7 व अधिक से अधिक 15 होगी।

(ब)बैठकें–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना–अवधि– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 1 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित संचार माध्यम जैसे–टेलीफोन, ई–मेल, एस.एम.एस., फैक्स द्वारा संस्था सचिव द्वारा प्रेषित की जावेगी ।

(द)गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

(य)रिक्त स्थानों की पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति के अर्न्तगत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना ।

2–नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन सभी सदस्यों के बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना ।

4–संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों, बैंकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण, अचल, चल सम्पत्ति एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यों पर व्यय करना ।

5–संस्था के विकास हेतु जगह–जगह प्रदेश, मण्डल व जिला स्तरों पर अपनी इकाईयों, फ्रैन्चाइजी, शाखा कार्यालय स्थापित कर उनका संचालन करेगी तथा ऐसी इकाईयों के लिये उपसमितियों गठन व उनकी सेवा शर्त के नियम निर्धारित करना तथा कार्य पूर्ण होने व दोष पूर्ण कार्य करने पर ऐसी उपसमितियों को भंग करना व नवीन उप कार्यकारिणी बनाना तथा उनके कोष पर पूर्ण नियंत्रण रखना क्षेत्रीय स्तर पर उप ईकाईयों/उपसमितियों द्वारा कल्याणकारी परियोजनाओं का संचालन करना/कराना।

6–संस्था द्वारा संचालित इन्स्टीट्शन/कालेज के विकासार्थ संस्था की ओर से ऋण प्राप्त करने हेतु संस्था की समस्त अचल चल सम्पत्तियों को क्रय–विक्रय बन्धक/गिरवी रखने एवं ऋण हेतु समस्त कार्यवाही करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा ।

अध्यक्ष

स्व० श्री सुमन प्रकाश एजुकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसाइटी
ग्राम-मधपुर पो०-पैडत जिला फिरोजाबाद (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि

(8)

(ल)कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का हो

10–पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष –

1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।

2–मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों को देना मीटिंग स्थगित करना, किर विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना।

3–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।

4–संस्था के अर्न्तगत संचालित संस्थानों व शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों/कालेजों कर्मचारियों एवं कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति निस्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।

5–कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये परियोजना तैयार करना व उसे सम्बन्धित स्वीकृत के लिये भेजना, शिक्षण संस्थानों की मान्यता सम्बद्धता आदि के सम्बन्ध करना व सम्बन्धित विभागों, विश्वविद्यालयों, शासन आदि से सम्पर्क स्थापित व प्राप्त करना ।

6–संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण, अनुदान पत्रों, चैकों, ड्र विलेखों, बिल–बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना ।

7–संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान सदस्यताशुल्क प्राप्त कर सदस्य बनाना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करन

8–प्रबन्धसमिति के परामर्श से कसी सुयोग्य व्यक्ति को बिना किसी सद अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर उसे कार्यकारिणी समिति या साधारण सभा बनाना ।

9–आकस्मिक व्यय हेतु 50,000/–रूपया तक अपने पर रखना व व्यय करना

10–संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों व संस्था की आम देखभाल करना।

उपाध्यक्ष – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य एवं सामान्य स्थिति में उन करना ।

सचिव/प्रबन्धक–

1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना मीटिंग कार्यवाही लिखना

2–संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना ।

3–संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हो करना ।

उपप्रबन्धक– सचिव/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य एवं सामान्य उनका सहयोग करना

कोषाध्यक्ष–

1–संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय–व्यय बं तैयार करना वं कोष पर नियंत्रण रखना ।

2–संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा करना ।

3–अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व बिल बाऊचरों का भुगतान करना।

Rekha

11–संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रकिया–

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसा0रजि0अधि0 धारा के अर्न्तगत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

अध्यक्ष

स्व० श्री सुमन प्रकाश एजूकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसाइटी
ग्राम-मधोपुर पो०-पिरा जिला फिरोजाबाद (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि

अनूपकौन

(9)